राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 63/2020

रामनिवास मीणा पुत्र स्व. संतराम मीणा जाति मीणा आयु 52 वर्ष निवासी ढाणी माखुवाला तन् अशोक नगर (बांसियाल) तहसील खेतड़ी हाल आबाद कमरा नं. डी–60 द्वितीय "ब" खेतड़ी नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....आवेदक

ब–ना–म

1. संतरी पत्नी संतराम आयु 68 वर्ष
2. रामकिशोर पुत्र संतराम आयु 42 वर्ष
   जाति मीणा निवासीगण ढाणी माखूवाला तन् अशोक नगर (बांसियाल) तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक 02–08–2022**

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अशोक नगर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता संख्या 125 के ख. नं. 417 रकबा 0.18 है., ख.नं. 418 रकबा 0.03 है., ख.नं. 419 रकबा 0.12 है., ख.नं. 420 रकबा 0.52 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में आवेदक एवं अनावेदकगण एवं दावे में दर्ज अन्य संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार आवेदक एवं अनावेदकगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काविज काश्त करते चले आ रहे हैं, आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। आवेदक सन् 1999 से अपने परिवार सहित अस्थाई रूप से खेतड़ी नगर तहसील खेतड़ी में निवास करते आ रहे हैं, कारण कि आवेदक करीब 23–24 वर्षों से हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड कम्पनी खेतड़ी नगर में कार्यरत है तथा कम्पनी की ओर से आवेदक को कमरा आवंटित किया गया है। आवेदक तथा उसके परिवार का अपने गांव में निर्मित पैतृक मकानात/हवेली में लगातार आना जाना रहा है तथा अपने हिस्से की भूमि को लगातार काश्त करता रहा है और घर परिवार में सम्पन्न हुए कार्यक्रमों, त्यौंहारो, शादी समारोह तथा मौत आदि पर व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आवेदक अपने परिवार सहित अपने गांव में निर्मित पैतृक मकानात में निर्बाधित व शांतिपूर्वक आता जाता रहा है, अपने हिस्से की कृषि भूमि काश्त करता रहा है तथा आवेदक सपरिवार समयानुसार रात्रि विश्राम भी अपने पैतृक मकानात में करता रहा है और मकानों की मरम्मत, नूतन निर्माण तथा अन्य सभी सामलाती खर्चों जैसे बुआ व बहनों के भात, छुछक व अन्य सामाजिक रस्मों व परम्पराओं के निर्वहन में अपना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक सहयोग करता आ रहा है और कर रहा है तथा पारिवारिक अन्य गतिविधियों में भी अपना सभी तरह का सहयोग कर घर परिवार की सभी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई है। आवेदक के पिता व अनावेदक सं. 1 के पति एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अनावेदक सं. 2 लगा. 8 के पिता का दिनांक 24.05.2010 को देहान्त हो जाने के बाद दिनांक 01.08.2010 को आवेदक एवं अनावेदकगण की सहमति, मर्जी व स्वेच्छा से पैतृक हवेली/मकानात एवं कृषि भूमि का विभिन्न गांव के प्रतिष्ठित एवं मुखिया व्यक्तियों की मौजूदगी में वंटवारा किया गया। उक्त वंटवारे के विस्तृत विवरण की लिखावट लिखी गई जिस पर आवेदक व अनावेदकगण ने अपने पूर्ण होश हवास में बिना किसी नशे पते, दबाव, लोभ, लालच के विभिन्न गांव के प्रतिष्ठित व मुखिया लोगों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये तथा आवेदक और अनावेदकगण को वंटवारे की लिखावट पढ़कर सुनाई गई। आवेदक एवं अनावेदक सं. 2 दिनांक 01.08.2010 को उनकी स्वतंत्र सहमति, मर्जी व स्वेच्छा व विभिन्न गांवों से आये हुए प्रतिष्ठित, प्रमुख, मुख्या लोगों की मौजूदगी में किये गये लिखित वंटवारे/विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक एवं निर्वाधित रूप से लगातार काश्त करते आ रहे हैं। आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य दिनांक 01.08.2010 को हुए लिखित वंटवारे/विभाजन के अनुसार ही मौके पर बाहमी वंटवारा करके उसी समय से अपने–अपने हिस्से का काश्त किया है तथा करते आ रहे हैं। अनावेदकगण सं. 1 लगा. 2 वाहुवली, प्रभावशाली एवं पैसे वाले व्यक्ति हैं जो आवेदक को धमकी देते हैं कि आवेदक के कब्जे व हिस्से की भूमि पर लठ के बल पर जबरन कब्जा करेंगे तथा पुख्ता निर्माण कर आवेदक के हिस्से की भूमि को अपने हिस्से की भूमि को अपने हिससे में मिलाकर आवेदक को वेदखल करेंगे, आवेदक द्वारा अपने हिस्से की भूमि को काश्त करने पर जान से मारने तथा आवेदक के कब्जा काश्त में बाधा कारित करने की धमकी दे रहे हैं और अनावेदकगण सं. 1 व 2 कानून में कतई विश्वास व आस्था नहीं रखते है तथा न ही उन्हें कानून व प्रशासन का डर है। आवेदक ने दिनांक 01.08.2010 को हुए लिखित वंटवारे/विभाजन एवं मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार अनावेदकगण को खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो वे इंकार हो गये तथा आवेदक के हिस्से की भूमि को खुर्द–वुर्द करने, लठ के वल पर जबरन कब्जा करने व पुख्ता तामीर कार्य करने, आवेदक के कब्जे काश्त में बाधा कारित करने की धमकी दे रहे हैं। जबकि अनावेदकगण सं. 1 लगा. 2 का उक्त भूमि में प्रवेश करने, खुर्द बुर्द करने, हस्तानान्तरण करने, पुख्ता तामील कार्य करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा कर देतें हैं तो आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो बिना खाता विभाजन करवाये उक्त विवादित भूमि वाके ग्राम अशोक नगर तहसील खेतड़ी में स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 417 रकबा 0.18 है., ख.नं. 418 रकबा 0.03 है., ख.नं. 419 रकबा 0.12 है., ख.नं. 420 रकबा 0.52 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. भूमि में ना घुसे, जबरन कब्जा ना करें, ना ही कोई कच्चा–पक्का निर्माण करें, खुर्द बुर्द न करें ना ही आवेदक को बेदखल आदि करें। ऐसा ना स्वयं करें ना ही अपने परिजनों, मित्रगण, इष्टगणों व एजेण्ट्स आदि से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज तथ्यों का अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी का तथाकथित लिखावट दिनांक 01.08.2010 के अनुसार विभाजन करवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी जानबूझकर अपना 1/2 हिस्सा झूंठा दर्ज कर रहा है। प्रार्थी का 1/9 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अप्रार्थी सं. 3 से 8 की सहमति से 8/9 हिस्से की भूमि काश्त कर रहे हैं जिसमें प्रार्थी की कोई हानि नहीं है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी झूंठे आरोप लगा रहा है। प्रार्थी का ना तो यह प्रथम दृष्टया मामला है व ना ही

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है बल्कि दोनों ही बातें अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 125 के ख.नं. 417, 418, 419, 420. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. ग्राम अशोक नगर में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि विधिवत् अविभाजित होने के कारण पक्षकारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम अशोक नगर स्थित भूमि खाता सं. 125 खसरा नंबर 417, 418, 419, 420 कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में प्रार्थी के हिस्से 1/9 में दखलंदाजी नहीं करे तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 02–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:25 IST
Reason: SelfAttested